छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम) (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की एक उत्तरवर्ती कंपनी)

CIN : U40108CT2003SGC015822

कार्यालय–कार्यपालक निदेशक (नि.का. एवं ऊ.प्र.), छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लि, रायपुर

Email ID: cecomcseb@rediffmail.com, website:www.cspdcl.co.in

Phone (0771) 2574441, Fax (0771) 2574442

क्र. 02–02/निकाप्र–1/का.अ./1/ 2481 रायपुर, दिनांक 19/01/2023

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग,
सिंचाई कालोनी, शांति नगर,
रायपुर (छ.ग.)

Received No. 123 DATE 19/01/2023

विषयः– स्थापित सोलर जनरेटरों में समानांतर संचालन प्रभार (POC) का प्रावधान बाबत्।

विदित हो कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा पारित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ग्रिड संहिता– 2011 के कंडिका 4.4 (6) के अनुसार ''संबंधित राज्य पारेषण उपक्रम (एस.टी.यू.) को प्रत्येक केप्टिव पावर उत्पादक के समानांतरण (parelleling) संयोजन हेतु समानांतर संचालन प्रभार, (parellel operation charges) जो आयोग द्वारा समय समय पर तय किया जाएगा, देंगे।''

माननीय नियामक आयोग के टैरिफ वर्ष 2022–23 के आदेश दिनांक 13.04.2022 के कंडिका 14.2.12 (15) अनुसार '' केप्टिव पॉवर प्लांट द्वारा उनके केप्टिव एवं गैर केप्टिव भार के लिये रू. 13 पैसे प्रति केडब्ल्यूएच की दर से छत्तीसगढ राज्य विद्युत वितरण कंपनी को समानांतर संचालन प्रभार (POC) देय होगा।''

20.1.2023. सचिव.

माननीय नियामक आयोग द्वारा पारित ग्रिड इंटरैक्टिव विकेन्द्रित नवीनीकरण ऊर्जा स्त्रोत (प्रथम संशोधन) विनिमय–2021 के कंडिका 21.8 के अनुसार ''सुगम्यता के लिए किसी आई.डी.आर.ई.एस. से उसके संपूर्ण उपयोगी जीवनकाल के दौरान, क्रॉस सब्सीडी सरचार्ज एवं एस.एल.डी.सी. प्रभार नहीं लिया जावेगा। ये सुविधायें उन सभी आई.डी.आर.ई.एस. परियोजनाओं को उपलब्ध करायी जायेंगी, जिनकी सी.ओ.डी. मूल विनियमों के अधिसूचना के पश्चात् हो, परन्तु इस प्रकार स्थापित होने वाली परियोजनाओं की सकल क्षमता 500 मे.वा. होने तक हो जावे अथवा इन संशोधनों के अधिसूचन से दो वर्ष के भीतर परियोजना की सी.ओ.डी. हो जावें।''

Commissioner SM 23/01

उपरोक्त विनियमों के अनुसार, सोलर कैप्टिव प्लांट पर समानांतर संचालन प्रभार (POC) प्रावधित होगा अथवा नहीं तथा आई.डी.आर.ई.एस. पर लगने वाले क्रॉस सब्सीडी सरचार्ज एवं एस.एल.डी.सी. प्रभार की शर्तों की विस्तृत व्याख्या के संबंध में माननीय नियामक आयोग से उचित दिशा–निर्देश प्रदान करने हेतु अनुरोध है।

Director (Engg.) 23/01

AD(E) 24/01/23

कार्यपालक निदेशक (नि.का. एवं ऊ.प्र.)
छ.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लि., रायपुर